





# कोर्ट का सम्मान करते हैं, आदेश से असहमत : आतिशी सियोदिया को लेकर कानूनी विकल्प तलाशेंगे : आप

पायनियर समाचार सेवा | नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने सोमवार को कहा कि पार्टी और उनके नेता उच्चतम न्यायालय का समान करते हैं लेकिन पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करने के उसके आदेश से वह सहमत नहीं हैं। इस मामले में कानूनी विकल्प तलाशेंगे। आतिशी ने कहा कि जांच एजेंसियों के खिलाफ तीखो टिप्पणियां करने के बावजूद अदालत ने प्रतिकूल रूप से बिराजा है।

आतिशी ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, जब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी, उच्चतम न्यायालय ने इंडी से लगातार कठिन सबाल पूछ जैसे कि पैसे का लेन-देन कराने हैं।

क्या यह एक सिसोदिया के पास पैसा आया, उनके परिवर्त के पास पैसा आया या उनसे जुड़ी किसी कंपनी के पास पैसा आया? सुप्रीम कोर्ट ने बाब-बाब ये कहा कि, अगर इंडी मनीष के पास पैसे पहुंचते हुए नहीं दिखा सकती तो मनी लॉटिंग और पीएमएलए लगाने का सबाल कैसे पैसे होता है।

शीर्ष अदालत ने सबाल भी पूछा कि इंडी का पूरा केस सिफ और सिफ एक अप्रवृत्त दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर है। अप्रवृत्त तो स्वयं को बचाने के लिए कुछ भी कह सकता है।



● बोले- शराब घोटाले में पैसे के लेन की काड़ियां केजरीवाल से जुड़ेंगी

पायनियर समाचार सेवा | नई दिल्ली

है। उसकी स्टेटमेंट पर कितना विश्वास किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान तीसरी बात जो स्पष्ट रूप से बाब-बाब सुप्रीम कोर्ट में कही गई कि, पॉलसी में किंग कोर्ट के अबलोकन में नहीं आता है, पॉलसी में किंग में अगर लॉटिंग हुई भी है तो वे बाब तक अवधि नहीं है जब तक ये सवित नहीं होता कि पैसे एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में गये हों और जिस व्यक्ति के पास गये उसे मनी लॉटिंग का प्रयास किया। तब तक पीएमएलए लागू नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि, इन तीखो टिप्पणियों के बाबजूद कोर्ट ने आज विपरीत और उनके आधार पर है और मनीष सिसोदिया को नेतृत्व में शानदार तरीके से सरकार चलाए है।

आज तक एक रूपये के ब्रॉश्यर में आम आदमी पार्टी का कोई भी अप्रवृत्त दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर है। अप्रवृत्त तो स्वयं को बचाने के लिए कुछ भी कह सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने बाब-बाब पर इंडी को बाबजूद करने के लिए योग्यता दिया है। आम आदमी पार्टी इमानदार थी, इमानदार है और और इमानदार रहेगी।

उसमें उठाए गए सारे कानूनी मुद्दे को

## केजरीवाल पद से दें इस्तीफा : भाजपा

● बोले- शराब घोटाले में पैसे के लेन की काड़ियां केजरीवाल से जुड़ेंगी

पायनियर समाचार सेवा | नई दिल्ली

नेता नेता प्रतिपक्ष समवार सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करने के उसके आदेश से वह सहमत नहीं हैं। इस मामले में कानूनी विकल्प तलाशेंगे। आतिशी ने कहा कि पार्टी जांच एजेंसियों के खिलाफ तीखो टिप्पणियां करने के बाबजूद अदालत ने प्रतिकूल रूप से बिराजा है।

आतिशी ने कहा कि, वह सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है और अब लॉटिंग कोर्ट के अबलोकन में नहीं आता है, पॉलसी में किंग कोर्ट के अबलोकन के अवलोकन में अगर लॉटिंग हुई भी है तो वे बाब तक अवधि नहीं होती है कि कोहरा तरफ के जरीवाल कहते हैं कि आज वार्ड और और सारे फर्जी मुकदमे दर्ज हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब पैसे के लेनदेन की बात तक तक कोई अधिकार नहीं है जब तक इस मामले का फैसला नहीं हो जाता।

बिधूड़ी ने कहा कि वह विधानसभा के अंदर और बाबर लातार यह कहते रहे हैं कि शराब नीति को लागू करने में सेंकड़ी करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है। इसीलिए सीधी आर्डर और इंडी ने भी मामले दर्ज किए हैं। अरविंद के जरीवाल पर नियान नहीं है कि उनकी जमानत याचिका छह बार खारिज हो चुकी है।

अरविंद के जरीवाल की बाबजूद करते हैं कि धन कहाँ है और और सारे फर्जी मुकदमे दर्ज हो गए हैं। बिधूड़ी ने कहा कि उनकी जमानत याचिका छह बार खारिज हो चुकी है।

अरविंद के जरीवाल की बाबजूद करते हैं कि धन कहाँ है और और सारे फर्जी मुकदमे दर्ज हो गए हैं। बिधूड़ी ने कहा कि उनकी जमानत याचिका छह बार खारिज हो चुकी है।

अरविंद के जरीवाल की बाबजूद करते हैं कि धन कहाँ है और और सारे फर्जी मुकदमे दर्ज हो गए हैं। बिधूड़ी ने कहा कि उनकी जमानत याचिका छह बार खारिज हो चुकी है।

अरविंद के जरीवाल की बाबजूद करते हैं कि धन कहाँ है और और सारे फर्जी मुकदमे दर्ज हो गए हैं। बिधूड़ी ने कहा कि उनकी जमानत याचिका छह बार खारिज हो चुकी है।

अरविंद के जरीवाल की बाबजूद करते हैं कि धन कहाँ है और और सारे फर्जी मुकदमे दर्ज हो गए हैं। बिधूड़ी ने कहा कि उनकी जमानत याचिका छह बार खारिज हो चुकी है।

अरविंद के जरीवाल की बाबजूद करते हैं कि धन कहाँ है और और सारे फर्जी मुकदमे दर्ज हो गए हैं। बिधूड़ी ने कहा कि उनकी जमानत याचिका छह बार खारिज हो चुकी है।

अरविंद के जरीवाल की बाबजूद करते हैं कि धन कहाँ है और और सारे फर्जी मुकदमे दर्ज हो गए हैं। बिधूड़ी ने कहा कि उनकी जमानत याचिका छह बार खारिज हो चुकी है।

अरविंद के जरीवाल की बाबजूद करते हैं कि धन कहाँ है और और सारे फर्जी मुकदमे दर्ज हो गए हैं। बिधूड़ी ने कहा कि उनकी जमानत याचिका छह बार खारिज हो चुकी है।

अरविंद के जरीवाल की बाबजूद करते हैं कि धन कहाँ है और और सारे फर्जी मुकदमे दर्ज हो गए हैं। बिधूड़ी ने कहा कि उनकी जमानत याचिका छह बार खारिज हो चुकी है।

अरविंद के जरीवाल की बाबजूद करते हैं कि धन कहाँ है और और सारे फर्जी मुकदमे दर्ज हो गए हैं। बिधूड़ी ने कहा कि उनकी जमानत याचिका छह बार खारिज हो चुकी है।

अरविंद के जरीवाल की बाबजूद करते हैं कि धन कहाँ है और और सारे फर्जी मुकदमे दर्ज हो गए हैं। बिधूड़ी ने कहा कि उनकी जमानत याचिका छह बार खारिज हो चुकी है।

अरविंद के जरीवाल की बाबजूद करते हैं कि धन कहाँ है और और सारे फर्जी मुकदमे दर्ज हो गए हैं। बिधूड़ी ने कहा कि उनकी जमानत याचिका छह बार खारिज हो चुकी है।

अरविंद के जरीवाल की बाबजूद करते हैं कि धन कहाँ है और और सारे फर्जी मुकदमे दर्ज हो गए हैं। बिधूड़ी ने कहा कि उनकी जमानत याचिका छह बार खारिज हो चुकी है।

अरविंद के जरीवाल की बाबजूद करते हैं कि धन कहाँ है और और सारे फर्जी मुकदमे दर्ज हो गए हैं। बिधूड़ी ने कहा कि उनकी जमानत याचिका छह बार खारिज हो चुकी है।

अरविंद के जरीवाल की बाबजूद करते हैं कि धन कहाँ है और और सारे फर्जी मुकदमे दर्ज हो गए हैं। बिधूड़ी ने कहा कि उनकी जमानत याचिका छह बार खारिज हो चुकी है।

अरविंद के जरीवाल की बाबजूद करते हैं कि धन कहाँ है और और सारे फर्जी मुकदमे दर्ज हो गए हैं। बिधूड़ी ने कहा कि उनकी जमानत याचिका छह बार खारिज हो चुकी है।

अरविंद के जरीवाल की बाबजूद करते हैं कि धन कहाँ है और और सारे फर्जी मुकदमे दर्ज हो गए हैं। बिधूड़ी ने कहा कि उनकी जमानत याचिका छह बार खारिज हो चुकी है।

अरविंद के जरीवाल की बाबजूद करते हैं कि धन कहाँ है और और सारे फर्जी मुकदमे दर्ज हो गए हैं। बिधूड़ी ने कहा कि उनकी जमानत याचिका छह बार खारिज हो चुकी है।

अरविंद के जरीवाल की बाबजूद करते हैं कि धन कहाँ है और और सारे फर्जी मुकदमे दर्ज हो गए हैं। बिधूड़ी ने कहा कि उनकी जमानत याचिका छह बार खारिज हो चुकी है।

अरविंद के जरीवाल की बाबजूद करते हैं कि धन कहाँ है और और सारे फर्जी मुकदमे दर्ज हो गए हैं। बिधूड़ी ने कहा कि उनकी जमानत याचिका छह बार खारिज हो चुकी है।

अरविंद के जरीवाल की बाबजूद करते हैं कि धन कहाँ है और और सारे फर्जी मुकदमे दर्ज हो गए हैं। बिधूड़ी ने कहा कि उनकी जमानत याचिका छह बार खारिज हो चुकी है।

अरविंद के जरीवाल की बाबजूद करते हैं कि धन कहाँ है और और सारे फर्जी मुकदमे दर्ज हो गए हैं। बिधूड़ी ने कहा कि उनकी जमानत याचिका छह बार खारिज हो चुकी है।

अरविंद के जरीवाल की बाबजूद करते हैं कि धन कहाँ है और और सारे फर्जी मुकदमे दर्ज हो गए हैं। बिधूड़ी ने कहा कि उनकी जमानत

















